

कादरी खरेवाडी समार

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

107

आदेश पत्रांक

6050/18

अशोक लोपकार  
को  
वताम

12/6/18

अभिलेख संख्या:- एम..... 81 ..... / 2018 धारा:- 107

दो प्र० सं० थाना प्रभारी ..... अशोक लोपकार को के

अप्राथमिकी संख्या:- ..... आवेदन डाए

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जी. सी. सी. पक्ष निर्माण सम्बन्धित  
विवाद पर अशांति ।

3/  
12/6/18

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी यह लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जायगी।

अतः मैं ..... अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट हो कर दो प्र० सं० की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध-पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक 15/6/18 की उपस्थापित करें।

mean  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,  
खूँटी।

15/6/18

नोलिस गामिला अण्डा 1 दिनांक

22/6/18 को रखें

22/6/18

उभय पक्ष अनुपस्थित नोलिस गामिला अण्डा दिनांक 29/6/18 को रखें

29/6/18

गामिला अण्डा दिनांक 6/7/18 को रखें

6/7/18

गामिला अण्डा दिनांक 19/7/18 को रखें

19/7/18

गामिला अण्डा दिनांक 24/7/18 को रखें

24/8/18

गामिला अण्डा दिनांक 31/8/18 को रखें

31/8/18

गामिला अण्डा दिनांक 6/9/18 को रखें

6/9/18

गामिला अण्डा दिनांक 27/9/18 को रखें

27/8/18

गामिला अण्डा दिनांक 11/9/18 को रखें

11/9/18

नोलिस गामिला अण्डा दिनांक 25/9/18 को रखें

25/9/18

उभय पक्ष उपस्थित / प्रथम पक्ष की ओर से वाद समाप्त होने हेतु आवेदन दिया गया। द्वितीय पक्ष भी सहमत। अतः वाद की भी कार्यवाही समाप्त की।

(R) 25.09.18